रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274148
CG-DL-E-04072026-274148

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3488] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4, 2026/आषाढ 13, 1948
No. 3488] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 2026/ASHADHA 13, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2026

का.आ. 3647(अ).— जबकि, केंद्र सरकार ने आकलन किया था कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के परिणामस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से तरलीकृत प्राकृतिक गैस के शिपमेंट में व्यवधान उत्पन्न हुआ था और आपूर्तिकर्ताओं ने अप्रत्याशित घटना संबंधी खंड लागू किया था जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक गैस को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर विपथन किया गया था;

और जबकि, केंद्र सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के समान वितरण और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, प्राकृतिक गैस आपूर्ति वितरण, निपटान, अधिग्रहण, प्राकृतिक गैस के उपयोग या उपभोग, जिसमें एलएनजी और पुनर्गैसीकृत-एलएनजी शामिल है, के उत्पादन, क्षेत्र-वार आवंटन और प्राकृतिक गैस के विपथन को विनियमित करना आवश्यक माना है और एक आदेश अर्थात्, प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026, क्रमांक का.आ. 1232(ई), दिनांक 9 मार्च, 2026 को जारी किया है।

और जबकि, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के परिणामस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से तरलीकृत प्राकृतिक गैस शिपमेंट में व्यवधान आया है, जो युद्धविराम के अध्यधीन है और बातचीत चल रही है, जिसके एक घटक के रूप में, होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से समुद्री यातायात को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है;

अब, इसलिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की उप-धारा (2) के खंड (घ) और (च) के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, नामतः, -

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ- (1) इस आदेश को प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) (संशोधन) आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 में, -

(i) पैराग्राफ 2 से 6, को लोप कर दिया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 7 को पैराग्राफ 2 के रूप में पुनः-क्रमांकित किया जाएगा।

[फा. सं. एल-16016/6/2026-जीपी-आई (ई: 55648)]

रमेश कृष्णा, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में, अधिसूचना संख्या का.आ. 1232(ई), दिनांक 9 मार्च, 2026 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 4th July, 2026

S.O. 3647(E).— Whereas, the Central Government had assessed that the ongoing conflict in the Middle East had resulted in the disruption of liquefied natural gas shipments through the Strait of Hormuz and suppliers had invoked force majeure clause which entailed diversion of natural gas to the priority sectors;

And Whereas, the Central Government, in order to ensure equitable distribution and continued availability of natural gas for priority sectors, considered it necessary to regulate production, sector-wise allocation and diversion of natural gas supplies distribution, disposal, acquisition, use or consumption of natural gas, including LNG and re-gassified-LNG and for the said purpose had issued an Order namely, the Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026, vide number S.O. 1232(E), dated 9th March, 2026;

And Whereas, the ongoing conflict in the Middle East that had resulted in the disruption of liquefied natural gas shipments through the Strait of Hormuz has been subject of a ceasefire and negotiations are ongoing, as part of which, sea traffic through the Strait of Hormuz has been permitted to be resumed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 read with clauses (d) and (f) of sub-section (2) of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026, namely: –

1. Short title and commencement- (1) This order may be called the Natural Gas (Supply Regulation) (Amendment) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026, –

(i) paragraphs 2 to 6, shall be omitted;

(ii) paragraph 7 shall be renumbered as paragraph 2.

[F. No. L-16016/6/2026-GP-I (E:55648)]

RAMESH KRISHNA, Under Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1232(E), dated the 9th March, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.04 21:13:28 +05'30'